

में बादी का नाम रामजीलाल पुत्र  
 मखनलाल दज है। सरपंच ग्राम  
 पंचायत जाशुवान ने अपना पुत्र  
 दिनांक 25/11/2021 में अंकित है कि  
 रामजीलाल पुत्र मखनलाल व जाशुवा  
 पुत्र मखनलाल एक ही व्यक्ति के  
 दो नाम हैं। इस नाम का दुकान  
 व्यक्ति नहीं है। जाशुवा नाम रामजीलाल  
 का ही है। जाशुवा नाम के सगे ससुर  
 रामजीलाल किये जाने कि अभियोग  
 की जाती है। जिस खसत में बादी का  
 वाद डिमी किये जाने योग्य पाया  
 जाता है।

अतः बादी का वाद-पत्र  
 डिमी किया जाकर आदेश दिया जाता  
 है कि आराजी 280 नं० 672 रुकवा  
 0.40 है 676 रुकवा 0.06 है 0.06  
 ग्राम जाशुवान तहसील बरसेठ में  
 जाशुवा पुत्र मखनलाल का कलमपत्र  
 कर रामजीलाल पुत्र मखनलाल किये  
 जाने के आदेश दिए जाते हैं।  
 प्रकार राजाब रिकार के संशोधित  
 किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।  
 पत्रावली फौजाल सुभाह होकर नक्का  
 से कम व बाद पूर्व दायरेल दफावर  
 है। आजायह निवेप मेर दास लिखण  
 जाकर शक्ति शुल-पापलप के सुनाप  
 गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 बरसेठ (अलावरगंज)